गंज बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

26.10.2023

परिवादी द्वारा श्री आशीष श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण पंजीयन पर तर्क हेतु नियत है।

परिवादी अधिवक्ता के पंजीयन पर तर्क सुने गये।

प्रकरण में पंजीयन पर आदेश किया जा रहा है।

परिवाद पत्र एवं परिवादी की ओर से प्रस्तुत सूची अनुसार दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा चैक राशि 250000 /-रुपये पर न्यायशुल्क 11000/- रूपये अदा की गयी है एवं परिवाद की ओर से परिवाद पत्र में अभिकथित तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्टया परिवाद समय सीमा के भीतर है एवं उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है। परिवाद के साथ संलग्न अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी के विरूद्ध पराकम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 का अपराध बनना प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 पराकम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। **प्रकरण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में पंजीबद्ध कराया जावे।**

परिवाद पत्र सीआईएस में दर्ज होने के उपरांत मेरे समक्ष कुछ समय पशचात पेश हो।

(श्रीकृष्ण बरार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गंजबासौदा जिला विदिशा म.प्र.

**पुनश्चः—**

पक्षकार पूर्ववत।

परिवाद पत्र सीआईएस में प्रकरण कमांक एससीएनआईए/449/2023 पर दर्ज होने के उपरांत पेश।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत किया जाता है।

परिवादी के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियुक्त की उपस्थिति हेतु विधिवत् तलवाना पेश करे। तलवाना पेश होने पर अभियुक्त की उपस्थिति हेत सूचना पत्र साधारण एवं रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। यदि उक्त अभियुक्त को सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाता है तो उसकी प्राप्ती

अभिस्वीकृति न्यायालय के समक्ष पेश करें अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये नोटिस दिनांक से एक माह के पश्चात् उसकी ऑनलाईन ट्रेकिंग रसीद न्यायालय के समक्ष पेश करें। अभियुक्त को सही पते पर सूचना पत्र भेजने का दायित्व परिवादी का होगा।

प्रकरण प्रारंभिक प्रक्रम पर है ऐसी दशा में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "दामोदर एस0 प्रभु विरूद्ध सैयद बाबलाल, ए 0आई0आर0 2010, एस0सी0–1907" में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार आरोपी को निर्देशित किया जाता है कि, वह यदि प्रकरण में राजीनामा करना चाहता है, तब इस प्रारंभिक प्रक्रम पर प्रस्तुत कर सकता है। आगामी प्रक्रम पर राजीनामा की दशा में उपरोक्त मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों अनुसार कार्यवाही की जावेगी। समंस में उक्त आशय की टीप जारी हो।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु दिनांक 08/12/23. को पेश हो।

(श्रीकृष्ण बेरार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गंजबासौदा जिला विदिशा म.प्र.